

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
15/21	136 L.R Act	शरशाह	5931
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
चोकीबाई उर्फ गंगाबाई		बनाम	राज0 सरकार

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

15³/₂₁

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19/4/21 को पेश हो।

(01)

19⁴/₂₁

अपन पीटाररीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/5/21 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

24⁵/₂₁

अपन पीटाररीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/6/21 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

23⁶/₂₁

अपन पीटाररीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/8/21 को पेश हो।

(Signature)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

18¹¹/₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत पत्र पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण मू.राजस्व आधिकारिक 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया गया जिसमें प्रार्थी बनाम गंगाबाई के स्थान पर चोकीबाई

दर्ज करने का निवेदन किया। प्रमाण में भाई प्रशासन
 गोप के द्वारा कमिश्नर के अन्तर्गत तहसीलदार इच्छा
 का रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इच्छा ने अपनी रिपोर्ट
 में बताया कि ग्राम मजिसे आस एक राजस्व रिमाई का
 आवेदन करने पर जाया कि दिनांक 24/01/2006 से
 जारिये विद्युत पत्र द्वारा ख.न. 11/2 ख.का प कीया क्षति
 केता मन्नीबई प।० बीरुलात व गंगाबई प।० वलरान
 जाति वजरा द्वारा कय की गई। जिसके अनुसार
 डंकवाल नं 272 दर्ज हुआ।

उक्त विद्युत पत्र एवं डेटाफों द्वारा संघ
 उपस्थित होकर अपने नाम से उक्त क्षति कय की
 गई थी नही तब राजस्व रिमाई में दर्ज है। प्राप्ति
 आवे अपने नाम गंगाबई के स्थान पर — यी की बई
 दर्ज कराना — चाहती है। जो सम्भव नही है। यदि
 प्राप्ति का नाम राजस्व रिमाई में जारिये विद्युत पत्र
 से दर्ज हुआ है। प्राप्ति पुनः विद्युत पत्र में नाम
 संशोधन कराने के उपरांत ही राजस्व रिमाई में दर्ज
 हो सकेगा। प्राप्ति विद्युत पत्र में संशोधन परकीत
 ही नाम संशोधन किसे जाने के परकीत ही सम्भव हो
 सकेगा।

सुतारिक तहसीलदार इच्छा की रिपोर्ट के
 आधार पर प्राप्ति का नाम गंगाबई के स्थान
 पर — यी की बई दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं
 होता है। ऐसी स्थिति में प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत
 प्रा.पत्र धारा 136 L.R. Act रकारिज योग्य होने से
 रकारिज किया जाता है तथा प्राप्ति के विद्युत पत्र के नाम
 संशोधन कराने के उपरांत ही नाम सुद्व किया जाना
 सम्भव हो सकेगा। हिदायत दी गई। इस कोई कायबंदी
 अपेक्षित नहीं है। से प्रमाण में कार्यवाही इसी स्तर
 पर जारी की जाती है पत्रवली प्रैशाल सुतार होकर
 नारिबल दफ्तर हो।

उपसण्ड अधिकारी
 (08/12/2006) श्री. राजो
 साकाबाद 20/12/06